।।कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)।।

E-mail-dfo_tons@yahoo.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 1512 /12-1 दिनांक, पुरोला, 23-1-2019।

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत नौगांव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से थली गांव मोटर मार्ग हेतु 11.6735 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/23445/2017)।**

सन्दर्भ– **कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्दीयक्षेत्र) फाईल स0–8बी/यू0सी0पी0/06/109/2018/एफ0सी0/1543/दिनांक 26–10–2018 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 पुरोला उत्तरकाशी के पत्रांक सं0–15 पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0/दिनांक 05–01–2019।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा वन भूमि हस्तान्रण प्रस्तााव सं0–(FP/UK/ROAD/23445/2017) में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
06	Density mentioned in part II is 0.7 and 0.2 but calculation sheet uploaded for 0.5 density	मोटर मार्ग निर्माण में 2 कक्ष प्रभावित होगें, जिनका घनत्व क्रमशः 0.7 व 0.2 है तथा दोनों का अनुपातिक घनत्व 0.45 है जिस कारण एन0पी0वी0 का आंकलन 0.5 Density जो किया गया है। जिसका निस्तारण भाग– 2 प्रपत्र में भी कर दिया गया है।
08	Working plan detail is not filled correctly. It is mentioned that working plan expired in 2015.	दर्ज आपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अवसायी कार्य योजना में दी गयी गाइड लाइन के अनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी तमक इस वन प्रभाग की कोई कार्य योजना स्वीकृत नहीं हुई है। वन भूमि हस्तान्तरण कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
10	At para 15 & 16 in part II, no comment & recommendation are made by DFO.	दर्ज आपत्ति में पैरा 15 व 16 में उप वन संरक्षक, महोदय द्वारा अपनी संस्तुति की गयी है। जिसे भाग– 2 में भी सही किया गया हैं
14	Site inspection report of tons forst division in not correctly filled/incomplete and lack any recommendation also.	Site inspection report उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग द्वारा दिनांक 22–03–2018 को अपनी संस्तुति के साथ ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रेषित की जा चुका है। पुनः छायाप्रति प्रेषित की जा रही है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिन आपत्तियों का निराकरण किया जाना था निराकरण संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0पी0मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला

प्रतिलिपि– वन संरक्षक यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0पी0मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

011

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Irrigation Construction Division, PMGSY. Purola for diversion under FCA-1980) of 2.0925 ha. (4.2260 ha Civil Land For Muc disposal for complete Road and 1.2825 ha for Road Construction Total 5.5085 ha in Civil Land Used) Total 11.673 ha (4.0725 ha of Uper Yamuna Van Prabhag Barkot + 2.0925 ha of Tonse Van Prabhag Purola) of forest land for non-forestry purpose.The project envisages the use of forest land for Construction of Naugaon Purola Motor Road Km. 2 to Thali Motor Road in District Uttarkashi, Under PMGSY. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 22.3.2018

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 2.0925 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-**N.A**

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. - **Yes**

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आवशयक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)
Name- R.P. Mishra
उप वन संरक्षक
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला

Place:- Purola

Date 22.3.2018

Designation : D.C.F.

Office Seal ....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.
As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest. Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

Scanned by CamScanner

प्रारुप–3
भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव–पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

I. राज्य / संघराज्यक्षेत्र - **उत्तराखंड**

II. जिला - **उत्तरकाशी**

III. जिला वन प्रभाग- **टौंस वन प्रभाग पुरोला**

IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र -2.0925 **हे०**

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः **आराक्षित / सिविल**

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः

I. वन का प्रकार - **चीड वन**

II. वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.70

III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना- **संलगन**

IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा- **मोटर मार्ग निर्माण**

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी- **सर्वेदनशील नहीं हैं**

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 1.00 **किमी०**

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ताः **संकटापन और विलुप्त प्रयाः वन्य जीवो के वास उपल नहीं हैं**

I. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : **हिरन, ककड, लोमडी**

II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)- **नहीं**

III. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - **नहीं**

IV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) - **नहीं**

V. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे - **नहीं**

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) - **नहीं**

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :- **हॉ**

I. क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।- **हॉ**

II. यदि नही तो वन भूमि के सिफारिष किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।- **हां**

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे

I. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) **नहीं**

II. यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही- **नहीं**

III. क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)- **नहीं**

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

I. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।- **नालुका सिविल सोयम**

II. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें। **सलंग्न हैं**

क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्षित करने वाले 1:50,000 मा के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। **सलंग्न हैं**

III. अरोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।- **हाँ**

IV. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : 1960008.00

V. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।- **हाँ**

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।- **हाँ**

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिषें

प्रस्ताव स्वीकृति की संस्तुति की जाती है

स्थानः **पुरोला** हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रातारीखः

आर० पी० मिश्रा

(आर० पी० मिश्रा)

उप वन संरक्षक

टौन्स वन प्रभाग,

पुरोला